राजस्व विभाग

युद्ध जागीर

दिनांक 18 दिसम्बर, 1985

क्रमांक 1349-ज(1)-85/37878.—श्री ज्ञान सिंह, पुत्र श्री सुन्दर सिंह, गांव भम्बोल, तहसील जगाधरी, जिला अम्बाला की दिनांक 25 फरवरी, 1984, को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप, हरियाणा के राज्यपाल पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 एवं 2(ए)(1ए) तथा 3(1)ए के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री ज्ञान सिंह की मुब्लिग 300 रुपये वार्षिक की जागीर जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 494-आर-(4)-67/1159, दिनांक 21 अप्रैल, 1967, 5041-आर-III-70/29505, दिनांक 8 दिसम्बर, 1970 तथा 1789-ज-(I)-79/44840, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979 द्वारा मंजूर की गई थी, अब उस की विधवा श्रीमती हरबन्त कौर, के नाम खरीफ, 1984 से 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत प्रदान करते हैं।

क्रमांक 1392-ज(2)-85/37882.—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उस में आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए)(1ए) तथा 3(1ए) के अनुसार सौंपे गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल, श्रीमती चान्द कौर, विधवा श्री सरजीत सिंह, गांव जमालपुर, तहसील झज्जर, जिला रोहतक, को रबी, 1977 से खरीफ़, 1979 तक 150 रुपये वार्षिक, तथा रबी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक कीमत की युद्ध जागीर, सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं।

क्रमांक 1391-ज(2)-85/37886.—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए)(1) तथा 3(1)(ए) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल, श्री मान सिंह, पुत्र श्री सोहन लाल, गांव कोयलपुर, तहसील कोसली, जिला रोहतक, को रबी, 1973 से खरीफ 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रबी 1980 से 300 रुपये वार्षिक की युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं।

दिनांक 20 दिसम्बर, 1985

क्रमांक 1426-ज(2)-85/38157.—श्री श्योपाल सिंह, पुत्र श्री श्योलाल,, गांव कोसली, तहसील कोसली जिला रोहतक की दिनांक 17 मई, 1985 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप, हरियाणा के राज्यपाल, पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया हैं और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 एवं 2(ए)(1) तथा 3(1)(ए) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री श्योपाल सिंह की मुब्लिग 300 रुपये की वार्षिक जागीर जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 1390-ज-(2)-84/30735, दिनांक 19 नवम्बर, 1984 द्वारा मंजूर की गई थी, अब उसकी विधवा श्रीमती चमेली देवी के नाम खरीफ 1985 से 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत प्रदान करते हैं।

क्रमांक 1395-ज(2)-85/38161.—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए)(1ए) तथा 3(1ए) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल, श्रीमती माया देवी उर्फ महादेवी विधवा श्री नारायण, गांव सारंगपुर, तहसील दादरी, जिला भिवानी, को खरीफ 1976 के खरीफ 1979 तक 150/-रुपये वार्षिक तथा रबी 80 से 300/-रुपये वार्षिक कीमत की युद्ध जागीर, सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं।

दिनांक 23 दिसम्बर, 1985

क्रमांक 1367-ज-(1)-85/38361.—श्री भरत सिंह, पुत्र श्री लहरी, गांव वसई, तहसील गुडगांवा, जिला गुडगांवा, की दिनांक 28 सितम्बर, 1984 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप, हरियाणा के राज्यपाल पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 एवं 2(ए) (1ए) तथा 3(1)(ए) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री भरत सिंह की मुब्लिग 300 रुपये वार्षिक की जागीर जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 6937-आर(III)69/240,8 दिनांक 3 फरवरी, 1970, तथा 5041-आर-III-70/29505, दिनांक 8 दिसम्बर, 1970 तथा 1789-जे-(1)-79/44040, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979 द्वारा मंजूर की गई थी, अब उसकी विधवा श्रीमती धापा देवी के नाम रबी; 1985 से 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत प्रदान करते हैं।